[2008] 1 एस. सी. आर 908

सुपर स्टार शिक्षा सोसायटी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 1105)

16 जनवरी 2008

(के.जी. बालकृष्णन, सीजेआई, आर.वी. रवीन्द्रन और जे.एम. पंचाल, जे.जे.)

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान:

महाराष्ट्र राज्य में नए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना - ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडल मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए व निर्देशित करते हुए राज्य सरकार को मराठी माध्यम के स्कूलों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने और वर्ष 2000-2010 के दौरान ऐसे स्कूलों को अनुमति देने के निर्देश प्रदान किये- मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में देरी - उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2004-2005 और वर्ष 2005-2006 के लिए अंग्रेजी माध्यम, गैर-अंग्रेजी माध्यम

और मराठी माध्यम के सभी प्रकार के स्कूलों को स्थायी गैर-अनुदान आधार पर मंजूरी देने की अनुमति दी - सरकार द्वारा दिनांक 16.5.2006 को आदेश जारी करते हुए 'गैर अनुदान' आधार पर 1495 नए स्कूलों को आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई - सरकारी आदेश को ग्रामविकास मंडल में निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती स्वरूप रिट याचिका दायर की गई - उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। - माना गया: तथ्यों के आधार पर, यह धारणा कि दिनांक 16.5.2006 के आदेश ने ग्रामविकास मंडल के आदेश का उल्लंघन किया है, ऐसा प्रकट नहीं होता है - उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.5.2006 के आदेश को बिना यह देखे ही रद्द कर दिया है कि कई स्कूल जिन्हे उक्त आदेश के तहत अनुमति दी गई है, वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल या गैर-मराठी स्कूल या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूल थे, जिन्हें प्रस्तावित मास्टर प्लान में शामिल करने का इरादा नहीं था - यह भी ध्यान देने में चूक हुई कि मसौदा तैयार करने में अथवा मास्टरप्लान को अंतिम रूप देने में हुई देरी नए स्कूलों को अनुमति देने में बाधा नहीं बन सकती है, विशेष रूप से औरंगाबाद पीठ के बाद के आदेशों को ध्यान में रखते हुए - जब अनुमति दी गई थी और स्कूलों ने उस आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया था, तो उच्च न्यायालय को उन 1495 स्कूलों को दी गई अनुमति को उन्हे पक्षकार बनाए बिना या सुनवाई

के अवसर के बिना रद्द नहीं करना चाहिए था। इन्हें - शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है - जब तक निजी क्षेत्र में नए स्कूलों को अनुमति नहीं दी जाती, तब तक राज्य के लिए अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करना संभव नहीं होगा - आदेश के तहत 1495 नए स्कूलों को अनुमति दी गई आदेश दिनांक 16.5.2006 के तहत स्थायी गैर-अनुदान के आधार पर भविष्य में भी राज्य सरकार की ओर से किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता या दायित्व के बिना स्थायी गैर-अनुदान आधार पर, प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही अमल में लाये जाने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए यह सुनिश्चत किया जावे कि स्कूल द्वारा शिक्षा संहिता द्वारा निर्धारित मापदंडो एवं शर्तों का पालन किया जावे - उक्त आदेश कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है - नए स्कूलों को अनुमति देने का दिनांक 16.5.2006 का सरकारी आदेश, इसलिए लागू रहेगा - हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई स्कूल शिक्षा संहिता द्वारा निर्धारित मापदंडों या राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.5.2006 के आदेश में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता हुआ या पूरा नहीं करता हुआ पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी या राज्य सरकार दोषी स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए, जिसमें अनुमति रद्द करना भी शामिल है स्वतंत्र रहेगी। नए निजी स्कूलों के लिए अनुमति को विनियमित

करने के उद्देश्य - आक्षेपित आदेश को खारिज किया- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत - अभ्यास और प्रक्रिया - आवश्यक पक्षों का कार्यान्वयन।

ग्राम विकास शिक्षण प्रसारक मंडल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। **एआईआर 2000 बॉम्बे 437-संदर्भित।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 1105

उच्च न्यायालय बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर के W.P. No. 2897/2006 में दिनांक 7.7.2006 के अंतिम निर्णय और आदेश से

साथ में

C.A. Nos.1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1159, 1160, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178 and 1179 of 2008.

सी.ए. सुंदरम, यशवंत दास, जयदीप गुप्ता, कॉलिन गोंसाल्वेस, एम.एन. राव, यशोवंत दास, संजय सेन, राणा एस. विश्वास, श्याम दीवान, दीपक विश्वास, मृदुल चक्रवर्ती, रुचिका राठी, सरला चंद्रा, विपिन एम.

बेंजामिन, विकास पडोरा, ज्योति मेंदीरत्ता, हिरेन दासन, अनुपम शाह, धीरेंद्र कुमार मिश्रा, अतुल वाई. चितले, सुचित्रा ए. चितले, ध्रुव मदान, गगन सांघी, बालमोहन विद्यामंदिर, एम.वाई. देशमुख, रामेश्वर प्रसाद गोयल, एस.एम. जाधव, सत्यजीत ए. देसाई, अमोल, एन सुर्यवंशी, अनाघा एस. देसाई, विजय कुमार, विश्वजित सिंग, एस उदय कुमार सागर, बिना मधावन(मैसर्स लॉयर्स निट एण्ड कम्पनी), संजय खराडे, चंदन रामामुर्ति, वेंकटेश्वर राव अनुमोलू, दिलीप अन्नासाहेब ताउर, संतोष कुमार त्रिपाठी, सुधा गुप्ता, विनय नवारे, सुधांशु एस. चौधरी, नरेश कुमार, उदय बी. दुबे, कुलदीप सिंह, भरत संगल, एस. चटर्जी, अनिल के. झा, डी.एम. नरगोलकर, अंजनी कुमार झा, साजन के. सिंह, संगीता सिंह, बलराज दीवान, एस.डब्ल्यू.ए. कादरी, जुबैर अहमद खान, उदिता सिंह, एल.आर. सिंह, अमोल चितले, माणिक करंजावाला, एस.एस. शिंदे, आशा गोपालन नायर, मनीष पितले, चंदर शेखर आश्री और वी.एन. रघुपति उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का आदेश के.जी. बालकृष्णन, सीजेआई द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील और महाराष्ट्र राज्य (प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3) के विद्वान वकील को सुना।

2. महाराष्ट्र राज्य में, स्कूलों की तीन श्रेणियां हैं - मराठी माध्यम स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अन्य गैर-मराठी माध्यम स्कूल। तीनों श्रेणियों में कुछ स्कूल धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समूहों द्वारा स्थापित किए गए हैं। नए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना संबंधित शिक्षा संहिताओं द्वारा शासित होती है।

3. वर्ष 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें शिकायत की गई थी कि राज्य में किसी भी मापदंडों का पालन किए बिना बड़ी संख्या में स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले पर विचार किया। (एआईआर 2000 बॉम्बे 437)। दिनांक 11.4.2000 के निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वर्ष 2000 - 2010 के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमति देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिये। मौजूदा राज्य नीतियों और योजनाओं की समीक्षा और अद्यतन करके और उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों को अपने फैसले में शामिल करते हुए फैसले में स्पष्ट किया गया कि मास्टर प्लान केवल मराठी मीडियम स्कूलों के लिए होगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और अन्य गैर-मराठी माध्यम स्कूलों के संबंध में, कोई निर्देश जारी नहीं

किए गए। यह भी कहा गया कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित स्कूल प्रस्तावित मास्टर प्लान द्वारा शासित नहीं होंगे।

4. कई कारणों से मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में देरी हुई. राज्य सरकार द्वारा बताए गए कारणों पर विचार करने पर, औरंगाबाद बेंच ने वर्ष 2004 - 2005 और वर्ष 2005 - 2006 के लिए मराठी माध्यम के स्कूलों सहित सभी प्रकार के स्कूलों को स्थायी गैर-सहायता प्राप्त आधार पर मंजूरी देने की अनुमति दी, यद्यपि मास्टर प्लान तैयार नहीं था।

5. वर्ष 2005-2006 के संबंध में, राज्य सरकार ने 3000 से अधिक आवेदनों और इस संबंध में जिला स्तरीय समितियों द्वारा किये गए प्रस्ताव व अनुशंषा पर विचार किया गया। ऐसे आवेदनों को दिनांक 16.5.2006 के आदेश द्वारा 1495 नई उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं/स्कूलों के लिए अनुमति प्रदान की गई।

ऐसी अनुमति 'गैर-अनुदान आधार' पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई थी:

(i) नव स्वीकृत उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में से किसी को भी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी न ही भविष्य में प्रदान की जाएगी

(ii) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, साथ ही माध्यमिक विद्यालय संहिता के प्रावधान और महाराष्ट्र निजी विद्यालय कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1977 और उसके तहत बनाए गए 1981 नियमों के प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए।

(iii) स्कूल प्रशासन को छात्रों से सरकार द्वारा अनुमोदित फीस से अधिक कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए।

(iv) स्कूल प्रशासन को उपयुक्त और पर्याप्त वित्तीय स्थिति बनाए रखनी चाहिए।

(v) स्कूलों को प्रमुखता से एक बोर्ड, जिसमें 'स्थायी बिना अनुदान के आधार पर अनुमति के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय' लिखा हो, प्रदर्शित करना चाहिए और अपने लेटरहेड में भी 'स्कूल स्थायी गैर-अनुदान आधार पर' लिखा होना चाहिए।

(vi) स्कूल चलाने वाली समितियों को यह पुष्टि करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वे उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को स्थायी बिना अनुदान के आधार पर चलाने के लिए तैयार हैं। शपथ पत्र स्थायी रूप से संधारित किया जाएगा। ऐसी अनुमति के अनुसरण में, उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं शुरू की गईं और संचालित की जा रही थीं।

6. जब मामला इस प्रकार से उठा, तो चौथे प्रतिवादी (महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थान महामंडल) ने नागपुर पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका (डब्ल्यू.पी. संख्या 2897/2006) दायर की, जिसमें दिनांक 16.5.2006 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि 1495 स्कूल को अनुमति प्रदान कर ग्रामविकास मंडल (सुप्रा) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने के लिए जारी निर्देश का उल्लंघन किया। जिन 1495 स्कूलों को अनुमति दी गई थी, उनमें से किसी को भी रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। यह तर्क दिया गया कि ग्रामविकास मंडल में दिए गए निर्णय में नए स्कूल शुरू करने की अनुमति देने से पहले एक मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की आवश्यकता थी और मास्टर प्लान के अभाव में, नए स्कूल शुरू करने की अनुमति देना अवैध था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 7.7.2006 के अपने निर्णय द्वारा, प्रवेश के चरण में ही उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 16.5.2006 के सरकारी आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा बिना तैयारी के नए स्कूलों के लिए अनुमति प्रदान करना नए स्कूलों के लिए वर्षवार कोटा तय किए बिना मास्टर प्लान बनाना ग्रामविकास मंडल के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था और इसलिए अवैध था। डिवीजन बेंच के आदेश से व्यथित होकर, कई संस्थान जिन्हें दिनांक

16.5.2006 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी, ने विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपीलें दायर की हैं।

7. हालांकि उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर तामील किया गया, लेकिन जनहित याचिका (महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थान महामंडल) में रिट याचिकाकर्ता ने उपस्थिति दर्ज नहीं की है। हालाँकि राज्य और उसके प्राधिकारीगण ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी, उन्होंने अपीलकर्ताओं का समर्थन किया और हमारे सामने तर्क दिया कि दिनांक 16.5.2006 का आदेश वैध था। यह प्रस्तुत किया गया कि माध्यमिक शिक्षा संहिता माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शुरुआत को नियंत्रित करती है; और दिनांक 16.5.2006 के आदेश द्वारा 1495 स्कूलों को अनुमति तभी दी गई थी, जब जिला स्तरीय समितियों ने उन स्कूलों को अनुमति देने की सिफारिश की थी, यह सत्यापित करने के बाद कि आवेदक शिक्षा संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं; सभी अनुमतियाँ बिना किसी वित्तीय सहायता के 'स्थायी गैर-अनुदान आधार' पर थीं और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित शर्तें लगाई गई थीं कि स्कूल ठीक से चल रहे हैं; ग्राम विकास मंडल (सुप्रा) में निर्णय के अनुसार मास्टर प्लान केवल मराठी माध्यम स्कूलों के लिए तैयार किया जाना था, न कि अंग्रेजी माध्यम या अन्य गैर-मराठी माध्यम स्कूलों और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों के लिए; उच्च न्यायालय ने सभी 1495

स्कूलों के संबंध में दिनांक 16.5.2006 के आदेश को रद्द कर दिया था, भले ही यह बड़ी संख्या में स्कूलों से संबंधित था जिन्हें मास्टर प्लान द्वारा कवर करने की आवश्यकता नहीं थी; और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि उसकी औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2004 - 2005 और वर्ष 2005 - 2006 के लिए मास्टर प्लान के बिना भी, स्थायी गैर सहायता प्राप्त आधार पर स्कूलों को मंजूरी देने की अनुमति दी थी। यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को उन सभी 1495 स्कूलों को दी गई अनुमति को उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना और उन्हें रिट याचिका में पक्षकार बनाए बिना रद्द नहीं किया जाना था।

8. नए निजी स्कूलों के लिए अनुमतियों को विनियमित करने का उद्देश्य है: (i) यह सुनिश्चित करना कि उनके पास अपेक्षित बुनियादी ढांचा है, (ii) शैक्षणिक संस्थानों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचना; (iii) शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश चाहने वाले निजी संस्थानों को ऐसे प्रतिबंधों और नियामक आवश्यकताओं के अधीन करना, ताकि शिक्षा के मानकों को बनाए रखा जा सके; (iv) छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना; और (v) समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों को बुनियादी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना; और (vi) केवल कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की एकाग्रता से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के

लिए कि वे समान रूप से फैले हुए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

9. जबकि ग्रामविकास मंडल में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने अदालत द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करके एक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया, यह मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने से पहले, स्कूलों को अनुमति देने पर रोक नहीं लगाता है। किसी भी स्थिति में, प्रस्तावित मास्टर प्लान का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, गैर-मराठी स्कूलों और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू करना नहीं है। हमें यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 24.7.2006 को महाराष्ट्र के शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक) की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है।

10. दिनांक 16.5.2006 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि जिला स्तरीय समितियों/राज्य स्तरीय समितियों द्वारा प्रस्तावों/आवेदनों का मूल्यांकन किए जाने और ऐसी समितियों द्वारा आवश्यक सिफारिशें किए जाने के बाद ही अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि ये समितियाँ सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करती हैं: प्रस्तावित स्कूल का स्थान (स्थिति) - चाहे वह शहरी हो, ग्रामीण हो, आदिवासी हो,

गैर-आदिवासी हो आदि, प्रस्तावित स्कूल के स्थान पर जनसंख्या, प्रस्तावित स्कूल से 5 किमी के दायरे में प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों की संख्या, और प्रस्तावित स्कूल से उनकी दूरी, 5 किमी क्षेत्र के भीतर 7 वीं और 8 वीं कक्षा से संबंधित नामांकन आंकड़े, 5 किमी के दायरे में समान मौजूदा स्कूलों से दूरी, स्कूल का निर्मित क्षेत्र, खेल मैदान जैसी सुविधाओं की उपलब्धता, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, फर्नीचर (बेंच और टेबल), पुस्तकालय, शैक्षिक अध्ययन सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाएं, प्रस्तावित स्कूल की वित्तीय स्थिति आदि। यह भी देखा गया है कि वर्ष 2004 - 2005 और वर्ष 2005 - 2006 के लिए उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार को स्थायी गैर-सहायता प्राप्त आधार पर स्कूलों को अनुमति देने की अनुमति दी थी।

11. शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। जब तक निजी क्षेत्र में नए स्कूलों को अनुमति नहीं दी जाती तब तक राज्य के लिए अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करना संभव नहीं होगा। दिनांक 16.5.2006 के आदेश के तहत भविष्य में भी राज्य सरकार की ओर से किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता या दायित्व के बिना स्थायी गैर-अनुदान आधार पर 1495 नए स्कूलों को अनुमति दी गई है, और साथ ही किसी उल्लंघन की स्थिति में प्राधिकारीगण द्वारा उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए व यह सुनिश्चित करते हुए कि स्कूल शिक्षा संहिता द्वारा

निर्धारित मापदंड और शर्तो, का पालन करें। उक्त आदेश कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह रिट याचिकाकर्ता का मामला भी नहीं था कि अनुमति प्राप्त स्कूल ऐसे स्कूलों से संबंधित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे।

12. उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.5.2006 के आदेश को यह देखे बिना ही रद्द कर दिया कि उक्त आदेश के तहत जिन स्कूलों को अनुमति दी गई है उनमें से कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल या गैर-मराठी स्कूल या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूल थे, जिन्हें प्रस्तावित मास्टर प्लान में शामिल करने का आशय नहीं था। यह भी ध्यान देने में चूक हुई कि मास्टर प्लान का मसौदा तैयार करने या अंतिम रूप देने में कोई भी देरी नए स्कूलों को अनुमति देने में बाधा नहीं बन सकती है, खासकर औरंगाबाद बेंच के बाद के आदेशों के मद्देनजर। जब अनुमति दे दी गई थी और स्कूलों ने उस आधार पर काम करना शुरू कर दिया था, तो उच्च न्यायालय को स्कूलों को पक्षकार बनाए बिना या सुनवाई का अवसर दिए बिना, उन 1495 स्कूलों को दी गई अनुमति को रद्द नहीं करना चाहिए था। तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह धारणा उचित प्रतीत नहीं होती कि दिनांक 16.5.2006 के आदेश ने ग्रामविकास मण्डल के आदेश का उल्लंघन किया है। यदि उच्च न्यायालय ग्रामविकास मंडल में निर्णय का कार्यान्वयन चाहता था, तो भी उसे यह निर्देश देना चाहिए था कि 1495

स्कूलों को दी गई अनुमति को रद्द करने के बजाय मास्टर प्लान को समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर तैयार किया जाना चाहिए, जिस वजह से बड़ी संख्या में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के इच्छुक छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा हैं।

13. इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं। इसलिए, नए स्कूलों को अनुमति देने वाला दिनांक 16.5.2006 का सरकारी आदेश लागू रहेगा। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई स्कूल शिक्षा संहिता द्वारा निर्धारित मापदंडों या राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.5.2006 के आदेश में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता हुआ या पूरा नहीं करता पाया गया, तो राज्य सरकार के संबंधित अधिकारीगण दोषी स्कूलों के खिलाफ अनुमति रद्द करने सहित उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे तदनुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।

आर.पी.

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुलदीप सूत्रकार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।